संख्या-81/2560/41-2014-48 यो0/12

प्रेषक

अमृत अभिजात
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक **19** दिसम्बर, 2014

विषय- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी पुनरीक्षित परियोजना के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-1129/6-1-1(406)/2014, दि0- 18 अक्टूबर, 2014 तथा पत्र सं0-1500/6-1-1(406)/2014, दि0- 17 दिसम्बर 2014 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित राशि रू0 30.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0 54/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक-14-10-2014 द्वारा रू0 167.92 करोड की प्रशासकीय स्वीक़ृति निर्गत की गयी है। उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0 1799/41-2013-48 यो0/12, दिनांक'06-12-2013 द्वारा रू0 22.7942 करोड की वित्तीय स्वीक़ृति प्रथम किश्त के रूप में प्रदान की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत के अनुसार रू0-167.92 करोड के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 30.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निर्माण का कार्य निर्धारित टाईम लाइन के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-54/2454/41-2014-48 यो0/12, दि0-14 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-1799/41-2013-48यो0/12, दि0-06 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. परियोजनान्तर्गत टायलेट के कार्य एवं एच0पी0 विद्युत लाइनों के अण्डरग्राउन्ड केबलिंग के कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत के अनुरूप कार्य की धनराशि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतन्त्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी।
6. योजना के क्रियान्वयन में वित्त विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

<u>संख्या-81/2560 (1)/41-2014 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एन्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
(श्याम मोहन तिवारी)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in